न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 49/2022

अपीलांट–

1. पेमाराम पुत्र पोकरराम के कायम मुकाम
   1/1 हरलालराम पुत्र स्व. पेमाराम
   1/2 गिरधारीराम पुत्र स्व. पेमाराम
   1/3 द्वारकाराम पुत्र स्व. पेमाराम
   1/4 माडों देवी पत्नी स्व. पेमाराम
2. भरत कुमार पुत्र स्व. अर्जनराम
3. चणनाराम पुत्र स्व. राणाराम
4. चुनाराम पुत्र स्व. राणाराम
5. मूलाराम पुत्र स्व. राणाराम
6. बनाराम पुत्र स्व. राणाराम
7. पुनमाराम पुत्र स्व. राणाराम
8. वीरोदेवी पत्नी स्व. राणाराम
9. पताराम पुत्र स्व. ईशराराम के कायम मुकाम
   9/1 जुगताराम पुत्र स्व. पताराम
   9/2 टिकमाराम पुत्र स्व. पताराम
   9/3 हऊवा देवी पत्नी स्व. पताराम
10. बालाराम पुत्र स्व.

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. तहसीलदार बायतु
2. गंगाराम पुत्र स्व. बादराराम
3. लुणाराम पुत्र स्व. बादराराम
4. चणनी पत्नी स्व. बादराराम
5. कानाराम पुत्र स्व. धोकलाराम के कायम मुकाम
   5/1 रूपाराम पुत्र कानाराम
   5/2 बांकाराम पुत्र कानाराम
   5/3 चुतराराम पुत्र कानाराम
   5/4 शंकराराम पुत्र कानाराम
   5/5 भीमाराम पुत्र कानाराम
   5/6 हऊआ देवी पत्नी कानाराम

जाति कुमावत निवासी खेजडियाली झाक तहसील बायतु जिला बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

ईशराराम के कायम मुकाम
10/1 चैनाराम पुत्र स्व.
बालाराम
10/2 प्रकाश पुत्र स्व.
बालाराम
10/3 छगनी देवी पत्नी
स्व. बालाराम
11. गेनाराम पुत्र स्व. ईशराराम
12. दीपाराम पुत्र स्व.
ईशराराम
13. वीराराम पुत्र स्व. नींबाराम
14. चेतनराम पुत्र स्व.
बांकाराम
15. चैनाराम पुत्र स्व. बांकाराम
16. जैहाराम पुत्र स्व. बांकाराम
17. चौखाराम पुत्र स्व.
बांकाराम
18. नखताराम पुत्र स्व.
गोरधनराम
19. सवाईराम पुत्र स्व.
गोरधनराम
20. कासबाराम पुत्र स्व.
गोरधनराम
21. हमीराराम पुत्र स्व.
गोरधनराम
22. रेवती पत्नी स्व.
गोरधनराम
जाति कुमावत निवासी
खेजडियाली झाक तहसील
बायतु जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 534 दिनांक 22.01.2022 जो तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

उपस्थिति :–

1. श्री दलपत सिंह सिसोदिया, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रफोर्मा पक्षकार।
3. श्री भीमाराम कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स 2 से 3 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 08.07.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत मौजा खेजडियाली तहसील बायतु के नामान्तरकरण सं. 534 पर तहसीलदार बायतु द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.01.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा खेजडियाली तहसील बायतु के खसरा नम्बर 250 रकबा 15.7512 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम एवं खसरा संख्या 255 रकबा 18.6475 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। तहसीलदार बायतु द्वारा प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 के तहत उक्त भूमि को विभाजित करने बाबत बंटवाडा करते हुए नामान्तरकरण दिनांक 22.01.2022 को स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में भूमि बंटवाडा कर अलग कर दी। यद्यपि अपीलाधीन खसरों की भूमि पर अपीलकर्तागण एवं उत्तरदातागण संख्या 02 से 05 का परिवार वक्त सेटलमेंट से आज दिनांक तक स्थायी रूप से काश्त एवं निवास करता आ रहा है तथा भूमि का बहमीतौर से बंटवाडा आज से करीब 40–50 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों द्वारा किया गया था तथा उसी के अनुसार अपने–अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं, लेकिन उक्त विभाजन बहमीतौर से किए गए बंटवाडे से भिन्न होने से यह अपील पेश की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 534 दिनांक 22.01.2022 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 केंप ग्राम पंचायत सिगोडिया पंचायत समिति बायतु में पक्षकारण द्वारा दी गई आपसी सहमति के आधार पर पारित किया गया है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

लेकिन नामान्तरकरण के समय राजस्व रेकॉर्ड एवं नक्शे में की गई तरमीम पक्षकारान द्वारा दी गई सहमति अनुसार नहीं की गई। विभाजन एवं तरमीम कब्जे एवं रहवास के प्रतिकुल कर दी गई है। राजस्व विभाग के नियमानुसार किसी भी कृषि जोत का विभाजन करते समय आने जाने के लिए रास्ते का अंकन किया जाना कानूनन आवश्यक है। अपीलाधीन खसरान की भूमि का विभाजन करवाते समय दोनों पक्षों द्वारा उक्त खसरों की भूमि में रास्ता रखे जाने वास्ते सहमति प्रकट की गई थी, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए उत्तरदातागण संख्या 02 से 05 तक द्वारा राजस्वकार्मिकों से सांठ–गांठ करके 17 मीटर चौडाई का रास्ता नक्शे में दर्शित करवा दिया गया जो कि बिल्कुल ही गलत दर्ज किया गया है तथा सहमति का दुरुपयोग कर भूमि की गलत तरमीम करवाई गई है, जो काबिल खारिज किए जाने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 534 दिनांक 22.01.2022 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 केंप ग्राम पंचायत सिगोडिया पंचायत समिति बायतु में पारित किया गया था तथा उसकी पालना के बाद अपीलकर्तागण द्वारा अपने अपीलाधीन उक्त खसरों की भूमि का सीमांकन करवाया गया जिसमें ज्ञात हुआ कि विभाजन एवं तरमीम मौका एवं कब्जा काश्त अनुसार नहीं की हुई है। तो अपीलकर्तागण ने हल्का पटवारी एवं राजस्व विभाग के कार्मिकों से गलत तरमीम होने का करण पूछा तथा तरमीम मौका कब्जा काश्त अनुसार करके देने बाबत निवेदन किया, तब उन्होंने अपने स्तर पर संशोधन या सुधार करने से मना किया तथा विभाजन आदेश एवं नामान्तरकरण की अपील करने की सलाह दी, जिस पर नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी जो दिनांक 05.07.2022 को प्राप्त हुई तथा नकल प्राप्ति की तिथि से अपील अंदर म्याद पेश की गई। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विरासत नामान्तरकरण सं. 534 दिनांक 22.01.2022 निरस्त फरमाया जावें तथा वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के कब्जे–काश्त अनुसार विभाजन किया जाकर राजस्व अभिलेखों मे आवश्यक इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

5. रेस्पोडेंट सं. 2 से 5 के अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया है कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर मौजा खेजडियाली तहसील बायतु के नामान्तरकरण आदेश 534 दिनांक 22.01.2022 आपसी सहमति से विभाजन का नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर नए सिरे से पुनः बंटवाडा मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार किया जाने का आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया है।

न्यायालय अपर कलक्टर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

6. हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश दिनांक 22.01.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.07.2022 को प्रस्तुत की गई है। आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 534 दिनांक 22.01.2022 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 केंप ग्राम पंचायत सिगोडिया पंचायत समिति बायतु में पक्षकारण द्वारा दी गई आपसी सहमति के आधार पर पारित किया गया है। जब तक उक्त बंटवाड़ा स्वीकृति आदेश यथावत है तो उसकी पालना में भरा गया नामान्तरकरण चुनौती दिए जाने योग्य नहीं है। यदि अपीलार्थी यह मानता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन में रेकर्ड व नक्शे में सहवन से पक्षकारान द्वारा दी गई सहमति अनुसार सही नहीं है तो उसका समाधान इस नामान्तरकरण अपील द्वारा नहीं किया जा सकता है तथा इसके लिए अपीलांट पृथक से चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना नहीं पाया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह [illegible])
अपर जिला कलेक्टर,
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर (एडीएम.)

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)